न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी०–II, बहराइच

उपस्थित–अनिल कुमार–XII, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

UPBH010049322022

दाण्डिक निगरानी संख्या–159/2022

1– कृष्ण कुमार त्रिपाठी, उम्र 58 वर्ष, पुत्र तीरथराम,
2– दुखहरन, उम्र 70 वर्ष, पुत्र राम अचल,
3– मोहित, उम्र 35 वर्ष,
4– रोहित, उम्र 30 वर्ष,
5– विमल, उम्र 25 वर्ष, पुत्रगण बाबूलाल,
6– शबद, उम्र 72 वर्ष, पुत्र राम कुबेर,
7– भगोले, उम्र 22 वर्ष, पुत्र शबद,
8– राज किशोर, उम्र 62 वर्ष, पुत्र श्याम सुन्दर,
9– पारसनाथ, उम्र 70 वर्ष, पुत्र श्याम सुन्दर,
10– विनोद, उम्र 38 वर्ष, पुत्र पारसनाथ,
11– बाबूलाल, उम्र 65 वर्ष, पुत्र रामराज,
12– रंजीत तिवारी, उम्र 42 वर्ष, पुत्र शिव भगवान,
13– संतोष तिवारी, उम्र 30 वर्ष, पुत्र राजकिशोर,
–––समस्त निवासीगण सुपनी, थाना हुजूरपुर, जिला बहराइच।

––––**निगरानीकर्तागण।**

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा डी०जी०सी० (क्रिमिनल), बहराइच।

––––**उत्तरदाता।**

निर्णय

(1) प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी अन्तर्गत धारा–397/399 दं०प्र०सं०, मुकदमा संख्या 1136/2022 अंतर्गत धारा 107/116 दं०प्र०सं० में न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट, कैसरगंज, बहराइच द्वारा पारित आदेश/नोटिस दिनांकित 25.09.2022 के विरूद्ध संस्थित की गयी है। यह निगरानी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश से स्थानान्तरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

(2) निगरानीकर्तागण द्वारा अपनी निगरानी में किये गए कथन संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 25.09.2022 विधि एवं तथ्यों के विपरीत है एवं निरस्त होने योग्य है। विद्वान अवर न्यायालय ने दं०प्र०सं० की धारा 111 में अभिलिखित प्राविधानों का विधिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल न करते हुए न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है तथा सरसरी तौर पर आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश सो काज नोटिस न होकर अंतिम आदेश है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश दिनांकित 25.09.2022 निरस्त किया जावे।

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2024.12.05 10:32:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

(3) निगरानीकर्तागण द्वारा अपने निगरानी के समर्थन में सूची 4/1–ब के माध्यम से नकल प्रमाणित आदेश दिनांक 25.09.2022, नकल प्रार्थनापत्र वास्ते स्थलीय निरीक्षण, छायाप्रति आधार कार्ड कागज संख्या 4/2–ब लगायत 4/3–ब प्रस्तुत किया गया है।

(4) निगरानी दाखिल होने के पश्चात विपक्षी को नोटिस जारी की गयी। विपक्षी की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित आये।

(5) न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना गया एवं प्रस्तुत तर्कों/बहस के परिप्रेक्ष्य में निगरानी व तलविदा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

(6) इस निगरानी के निस्तारण हेतु तलविदा पत्रावली के संक्षेप में आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं कि थानाध्यक्ष, हुजूरपुर की आख्या दिनांकित 24.09.2022 के अनुसार उभयपक्ष के मध्य जमीनी विवाद लेकर शांति भंग होने की संभावना के आधार पर विद्वान उपजिला मजिस्ट्रेट, कैसरगंज द्वारा दिनांक 25.09.2022 को पक्षकारों को नोटिस अंतर्गत धारा 111 दं०प्र०सं० जारी किया। उक्त नोटिस/आदेश के विरुद्ध यह निगरानी संस्थित की गयी है।

(7) पुनरीक्षण सम्बन्धित मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था **अमित कपूर बनाम रमेश चन्देर व अन्य 2012(3) जे०आई०सी० 772 (एस०सी०)** मे यह अवधारित किया गया है कि, 'पुनरीक्षण सम्बन्धित प्रावधान का उद्देश्य पेटेन्ट त्रुटि या अधिकारिता सम्बन्धी त्रुटियों को सुधारने का है। न्यायालयों को उन आदेशों की जांच नहीं करनी चाहिए, जो देखने से ही सावधानीपूर्वक विचार के पश्चात पारित किये गये प्रतीत होते हो। पुनरीक्षण सम्बन्धी क्षेत्राधिकार का प्रयोग, उन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, जहाँ पर आलोच्य आदेश में गम्भीर त्रुटि हो या वह विधि विरूद्ध पारित किये गए हो अथवा जहाँ बिना साक्ष्य के निष्कर्ष निकाला गया हो या तात्विक साक्ष्यों की अनदेखी कर पारित किया गया हो अथवा न्यायिक विवेक का उपयोग मनमाने ढंग से या साक्ष्यों के विपरीत किया गया हो। प्रत्येक मामले का निर्धारण उसके गुण दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। विधि का एक अन्य सुस्थापित सिद्धांत यह भी है कि पुनरीक्षण सम्बन्धी क्षेत्राधिकार का सम्बन्ध अत्यन्त सीमित है तथा इसका प्रयोग नियमित रूप में नहीं किया जाना चाहिए।'

(8) आलोच्य आदेश दिनांक 25.09.2022 के अवलोकन से विदित होता है कि उपजिला मजिस्ट्रेट, कैसरगंज द्वारा थानाध्यक्ष हुजूरपुर की आख्या/चालानी अंतर्गत धारा 107/116 दं०प्र०सं०, दिनांकित 24.09.2022 के अनुक्रम में आलोच्य आदेश दिनांकित 25.09.2022 पारित किया गया है। उक्त आदेश के सम्बन्ध में निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा धारा 111 दं०प्र०सं० में अभिलिखित प्राविधान का अनुपालन नहीं किया गया है एवं प्रत्यर्थी की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त आदेश दिनांक 25.09.2022 को जारी किया गया था एवं एक वर्ष की अवधि बीत जाने के कारण उक्त आदेश स्वतः निरस्त हो गया है।

दं०प्र०सं० की धारा 111 में प्रावधानित है कि– जब धारा 107, धारा 108, धारा 109 या धारा 110 के अधीन कार्य करने वाला कोई मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से ऐसी धारा के अधीन हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करना आवश्यक समझता है, तब वह लिखित आदेश देगा, जिसमें प्राप्त सूचना का सार, निष्पादित किए जाने वाले बंधपत्र की रकम, वह अवधि जिसके लिए वह प्रवृत्त रहेगा, तथा अपेक्षित प्रतिभुओं की संख्या, स्वरूप और वर्ग

(यदि कोई हो) उपवर्णित किए जाएंगे।

विधि व्यवस्था **बिन्दवासिनी बनाम स्टेट आफ यू०पी० [1976 क्रि०ला०ज० 1660]** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि– धारा 107/111 दं०प्र०सं० के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश पर इस परीक्षण को लागू करने पर वह आदेश अन्तरवर्ती के अलावा और कुछ नहीं है क्योंकि यह तब पारित किया जाता है जब मजिस्ट्रेट की राय होती है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई सूचना कि कोई व्यक्ति शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति भंग करने आदि की संभावना है, विश्वसनीय थी। उस सूचना पर कार्यवाही करते हुए मजिस्ट्रेट संबंधित व्यक्ति को केवल यह कारण बताने के लिए कहता है कि उसे निर्धारित तरीके से बाध्य क्यों न किया जाए। उस स्तर पर न तो पक्षों के अधिकार तय किए जाते हैं और न ही विवादित मामले का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है। वह आदेश केवल प्रक्रियात्मक प्रकृति का होता है। यह संबंधित पक्ष को केवल यह नोटिस देता है कि उसके खिलाफ ऐसा–ऐसा आरोप है और उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना चाहिए।

प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा थानाध्यक्ष हुजूरपुर की आख्या/चालानी अंतर्गत धारा 107/116 दं०प्र०सं०, दिनांकित 24.09.2022 के अनुक्रम में दं०प्र०सं० की धारा 111 के अधीन आलोच्य आदेश दिनांकित 25.09.2022 पारित किया है, जोकि एक अंतरिम आदेश है और धारा 397(2), दं०प्र०सं० ऐसे आदेश के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश द्वारा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर रोक लगाती है।

(9) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपरोक्तानुसार प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1– दाण्डिक निगरानी संख्या–159/2022, कृष्ण कुमार त्रिपाठी बनाम राज्य उ०प्र०, निरस्त किया जाता है।

2– इस निर्णय व आदेश की एक प्रति मय तलविदा पत्रावली विद्वान उपजिला मजिस्ट्रेट, कैसरगंज, बहराइच न्यायालय को प्रेषित की जाए।

4– बाद आवश्यक कार्यवाही निगरानी पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 28.11.2024

(अनिल कुमार– XII)
अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ०टी०सी०–II, बहराइच।

यह निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 28.11.2024

(अनिल कुमार– XII)
अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ०टी०सी०–II, बहराइच।